



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

1/138  
24/7/2023

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1568

दिनांक 21-07-2023

## विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	813	न्यू पिक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की सिद्धार्थ नगर-ए	श्री दिनेश चन्द जोशी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जोशी	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बस्सी सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
2	182	न्यू पिक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की श्रीजी नगर	श्री दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा	श्री पी.डी. माथुर पुत्र स्व श्री आर. डी. माथुर	पंजीकृत पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र, एवं वारिसों के संबंध में शपथ पत्र के आधार पर।
3	54-ए	दी-फोरसेट व्यू हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाईटी लि. की योजना नन्द विहार	श्रीमती मंगली देवी मीना पत्नी श्री बाबू लाल मीना	श्रीमती मंगली देवी पत्नी श्री बाबू लाल मीना	सोसाईटी का आवंटन पत्र, साईट प्लान/ रसीद, आवेदिका के द्वारा दिया गया शपथ पत्र, समिति के द्वारा प्रस्तुत सूची में भूखण्ड संख्या/ भूखण्डधारियों का नाम अंकित नहीं, एवं भूखण्ड संख्या 54-ए व 54 के मध्य कुंआ हेतु भूमि छोड़ी गयी है। उक्त भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गया है।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1558

दिनांक 20-07-2023

## विज्ञप्ति


निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	खसरा नं.	ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	104 एवं 111	निजी खातेदार की भूमि ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानेर	श्रीमती शीला मीना पत्नी श्री शंकर मीना	निजी खातेदार श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री नानगराम	रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 29.03.1972, 11.01.2002 श्री शंकर सिंह मीना का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.2019 अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 05.07.2015 न्यायालय प्राधिकृत का आदेश प्रकरण संख्या 37/2014 एवं जमाबंदी की रसीदें आदि।

  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

:dc.zone04@jaipurjda.org

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-2640


दिनांक: 20/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मोहन लाल शर्मा	ई-122	जविप्रा	झालाना फेज-III	पट्टा	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं आपजीकृत इकरारनामा

  
उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1638

दिनांक 20-7-23

### आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी	4/376	45.00 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि
2	श्री फकरुद्दीन गौरी पुत्र श्री समसुदीन गौरी	श्रीरामगोपाल पुत्र श्री गोविन्दराम	ए-294	45.00 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, अपञ्जीकृत अथोरिटी लैटर, इत्यादि

उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष--{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-1630

दिनांक 20-7-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती विमला अग्रवाल पत्नी श्री हरिराम अग्रवाल	कल्याण पुत्र श्री किशना	ए-20	-	निजी खातेदारी सीतारामपुरी, हीदा की मोरी, ग्राम मोती कटला खसरा नम्बर 854/1	निजी खातेदारी सीतारामपुरी, हीदा की मोरी	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, विक्रय पत्र इत्यादि

उपायुक्त/जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

139545

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामहेत मीणा पुत्र स्व. श्री घासी लाल मीणा	श्री घासी लाल मीणा पुत्र श्री छोटे लाल मीणा	डी-158	पटेल नगर	कुसुम विहार	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/क्रमांक:/डी- 3245  
दिनांक 19/7/23

21/7/23  
उपायुक्त, जोन-9  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-

1460


दिनांक

18/3/23

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मू. नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	रोवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री खुशीराम गुप्ता	श्री इन्दरलाल शर्मा पुत्र श्री गणेशीलाल जी शर्मा	एफ- 260	44.17व. ग.	जविप्रा	वैशाली नगर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं पट्टे की गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर

  
उपायुक्त, जोन-7

उपायुक्त एवं प्राधिकृत जयपुर अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

**प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्र.में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत जोन अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1680

दिनांक:- 21.7.23

## आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	145207	श्री धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भारत चन्द्र शर्मा	श्री भारत चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	एम-18 ए	188.75	बजाज नगर	मधुबन कॉलोनी	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	144549	श्रीमती मीना वर्मा पत्नी श्री सज्जन कुमार	श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी श्री नन्द लाल	ए-137	44.17	जविप्रा	त्रिवेणी नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड पट्टा	अपंजीकृत ईकरारनामा
3.	93275	श्रीमती गीतांजलि पत्नी स्व. श्री रामजी लाल बैरवा	श्री रामजी लाल बैरवा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण	340	188.02	पथिक भवन	सूर्य नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

- Sd/-  
उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

  
उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी 2068


दिनांक 21/7/23


## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री संदीप गर्ग पुत्र श्री राजकुमार गर्ग	श्री संदीप गर्ग पुत्र श्री राजकुमार गर्ग	एस-129	72 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	लीजडीड	आवंटन पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2065

दिनांक 20/7/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रामचन्द्र मिशन जरिये मु.आम श्री सतबीर बक्शी पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह बक्शी	श्रीमती वीना देवी भट्टर पत्नी श्री छगन लाल डागा	ए-01	701.16 वर्गगज	निजी खातेदारी	मास्टर्स क्रियेशन	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर
2.	श्री रामचन्द्र मिशन जरिये मु.आम श्री सतबीर बक्शी पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह बक्शी	श्री मृणाल नाईक पुत्र श्री सुभाष नाईक	ए-02	665 वर्गगज	निजी खातेदारी	मास्टर्स क्रियेशन	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर
3.	श्री रामचन्द्र मिशन जरिये मु.आम श्री सतबीर बक्शी पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह बक्शी	श्री हरि किशन मानिकतला पुत्र स्व. श्री दौलत राम	20	260 वर्गगज	निजी खातेदारी	मास्टर्स क्रियेशन	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2064

दिनांक 20/7/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	(1) श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री अर्जुन सिंह राजावत (2) श्री महिपाल सिंह राजावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह राजावत (3) श्री राजवीर सिंह राजावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह राजावत जरिये सरंक्षिकता माता श्रीमती संतोष कंवर	श्री छीतर सिंह पुत्र श्री कान सिंह	105-सी-	81.07 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम भम्मोरिया	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवेदी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री ऋषभ सोनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सोनी	श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री भागीरथ महरडा	बी-9	127.95	शंकर भवन	विकास नगर	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर
2	श्री सत्यनारायण सिंह नरुका पुत्र श्री सांवर सिंह नरुका	श्री सत्यनारायण सिंह नरुका पुत्र श्री सांवर सिंह नरुका	20-ए	171.6	श्री छत्रपति	अलकापुरी-बी	नियमन	सूची में भूखण्ड संख्या अंकित नहीं है
3	श्री कानाराम यादव पुत्र श्री नाथूलाल यादव	श्री सीताराम बगडिया पुत्र श्री गणेश नारायण	71	100.00	श्री गणपति	बालाजी विहार-25 विस्तार	नियमन	सूची में नाम अंकित नहीं

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-2338 दिनांक 21.07.2023

3  
संप्रायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर  
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सकिल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन : (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-1643

दिनांक 21.7.23

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तांतरित होने के कारण निजी खातेदारी का एकल पट्टा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

निजी खातेदार द्वारा भूमि के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त खातेदार द्वारा आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके आधार पर कृषि भूमि का मौके पर निरीक्षण करवाया गया। प्रथम दृष्टया भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने का साक्ष्य/ रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावसित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90क(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट.)	स्वामित्व
1	2	3	4	5
ग्राम परसरामपुरा तहसील जयपुर	निजी खातेदार	52/27	0.0502	राहुल खण्डेलवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द खण्डेलवाल हि.1/2 विकास खण्डेलवाल पुत्र सुभाष चन्द खण्डेलवाल हि.1/2 जाति महाजन निवारी प्लाट न.11ए जगदम्बा कॉलोनी, ढेहर का वालाजी, जयपुर।
	कित्ता	1	0.0502	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपटित धारा 90-क(5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 21.7.23 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:--जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1701

दिनांक 21.7.23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 48 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़क से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास तहसील सांगानेर के ख.नं 541 रकबा 0.5500 हैक्ट. एवं ख.नं. 542 रकबा 0.8600 हैक्ट. कुल कित्ता 02 कुल रकबा 1.42 हैक्ट. में से 8000.00 व.मी. को ख़ातेदार श्री बदरी, श्री रामेश्वर, श्री हनुमान पुत्रान श्री ग्यारसा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

जयपुर विकास प्राधिकरण  
उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी-2354

दिनांक: 24/7/23

## लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म्युचुअल गृ.नि.स.स. की स्कीम नं. 24, दादी का फाटक योजना (खसरा नं. 830,831,832 ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर) का नगरीय विकास विभाग का पत्र क्रमांक प.3 (656)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 18.01.2011 एवं प्रचलित नियमों के अनुसरण में मौके पर बनी सड़कों, भवनों के आधार पर नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज के प्रस्तुत करें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जयपुर-06-6  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाने का श्रम करें।

उपायुक्त, जयपुर-06  
उपायुक्त, जयपुर-06  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/23/डी- 2352

दिनांक :- 24/7/23

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्रीमती निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल व श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रूडमल अग्रवाल श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेडा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 78/2 व 79/2 में भूखण्ड संख्या 04ए आवासीय एकल भूखण्ड का क्षेत्रफल 536.66 वर्ग मी की लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का स्वामित्व श्रीमती निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल व श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रूडमल अग्रवाल श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के नाम है।

इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवेदक के पक्ष में नियमन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।
- श्रीमती निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल व श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र, श्री रूडमल अग्रवाल श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर।  
जविप्रा, जयपुर।



V-138  
22/7/23

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।**

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1726

दिनांक:- 21/07/2023

**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर** की आवासीय योजना **आदिनाथ नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

क्र.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.		143	0.54	ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय हिस्सा- 1307/54444
2.		144	0.75	जाति- महाजन सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
3.		145	0.66	कमलाप्रसाद पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन
4.		146	0.54	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
5.		147	0.23	कैलाशप्रसाद पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
6.		148	0.96	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
7.		150	0.14	गणेशनारायण पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति-
8.		151	0.53	महाजन सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
9.		152	0.34	देवीनारायण पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
10.		153	0.06	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
11.		154	0.12	दिनेशकुमार खण्डेलवाल पुत्र भंवरलाल गुप्ता हिस्सा-
12.		155	0.73	641/36296 जाति- महाजन निवासी प्लॉट नं.16-17;
13.		158	0.35	महावीरनगर-बी, रेलवे स्टेशन रोड, सांगानेर, खातेदार
14.		159	0.28	नवलकिशोर पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन
15.		160	0.81	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
16.		161	1.13	भगवानसहाय पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन

उपायुक्त-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

17	162	0.04	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
18	163	0.11	मोहनलाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
19	164	0.54	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
20	165	0.40	योगेश कुमार दुसाद दत्तक पुत्र रामसहाय हिस्सा- 1/8
21	166	0.43	जाति- महाजन सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
22	167	0.03	रामकिशोर पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
23	168	0.01	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
24	169	0.05	रामेश्वरप्रसाद पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन
25	170	0.25	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
26	171	0.35	
27	172	0.51	
	किता 27		कुल रकबा 10.89 हैक्ट. में से उपरोक्त खातेदारों का हिस्सा 1/2 रकबा 5.4450 हैक्ट. भूमि

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/ 2021/म.ग.।। जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सम्पत्ति धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना भरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 21/07/2023 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
इन्द्रिया सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1727

दिनांक:- 21/7/2023


**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **दी राजहंस कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर** की आवासीय योजना **आस्था सिटी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

क्र.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. भे)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर	1081	0.14	1. घनश्याम पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा- 1/2 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
2.		1083	0.23	2. बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा- 1/2 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार,
3.		1084	0.03	
4.		1076	0.23	1. गोपाललाल पुत्र जगदीश हिस्सा- 1/3 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
5.		1174	0.07	2. नानूराम पुत्र जगदीश हिस्सा- 1/3 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
6.		1196	0.21	3. बिरदीचंद पुत्र जगदीश हिस्सा- 1/3 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार,
7.		1076 / 1	0.24	1- अनिता पुत्री मंगलचन्द हिस्सा- 1/2] जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
8.		1196 / 1	0.25	2. कन्हैयालाल पुत्र बदरीनारायण हिस्सा- 1/7 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/7 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर 3. कृष्ण पुत्र मंगलचन्द हिस्सा- 1/2] जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. प्रभुनारायण पुत्र बदरीनारायण हिस्सा- 1/7 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/7 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर

  
 उपस्थित -14  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

			<p>5. बाबूलाल पुत्र बदरीनारायण हिस्सा- 1/7 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार  राहिन हिस्सा-1/7 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन )  पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर</p> <p>6. भौरीलाल पुत्र बदरीनारायण हिस्सा- 1/7 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार  राहिन हिस्सा-1/7 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन )  पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर</p> <p>7. मुकेश पुत्र घनश्याम हिस्सा- 1/14 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार  राहिन हिस्सा-1/14 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन )  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुहाना</p> <p>8. राजेश पुत्र घनश्याम हिस्सा- 1/14 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार  राहिन हिस्सा-1/14 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन )  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुहाना</p> <p>9. लालचन्द पुत्र बदरीनारायण हिस्सा- 1/7 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार  राहिन हिस्सा-1/7 ( खसरा सं- 1076/1, 1196/1 बिना रहन )  पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर</p> <p>10. सन्नोषदेवी पुत्र हिस्सा- 1/21 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार,</p>
--	--	--	---

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अगियान/ 2021/ग.म.ग जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत मुखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि-हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 21/07/23 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- जिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
- तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।**

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1725

दिनांक:- 21/7/2023


**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी से यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **दी राजहंस कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर** की आवासीय योजना **महादेव नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यवहित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

क.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर. में)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर	1487	0.24	1. जगन्नाथ पुत्र मांग्या हिस्सा- 1/7 जाति- धानका सा. देह खातेदार
2.		1488	0.04	2. नानगराम पुत्र केशरलाल हिस्सा- 2/63 जाति- धानका सा. देह खातेदार
3.		1547	0.03	3. पूरण पुत्र केशरलाल हिस्सा- 2/63 जाति- धानका सा. देह खातेदार
4.		1548	0.52	4. फूला पत्नि केशरलाल हिस्सा- 1/63 जाति- धानका सा. देह खातेदार
5.		1549	0.27	5. बाबूलाल पुत्र केशरलाल हिस्सा- 2/63 जाति- धानका सा. देह खातेदार
6.		1550	0.57	6. भूलीदेवी पत्नि रूपा हिस्सा- 1/7. जाति- धानका सा. देह खातेदार
7.		1551	0.05	7. भारती पत्नि रतन हिस्सा- 2/189 जाति- धानका सा. देह खातेदार
8.		1552	0.03	8. भौरीलाल पुत्र कजोड हिस्सा- 1/21. जाति- धानका सा. देह खातेदार
9.		1553	0.04	
10.		1554	0.78	

  
संपायुक्त -14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				9. मदनलाल पुत्र कजोड हिस्सा- 1/21 जाति- धानका सा. देह खातेदार
				10. महेश पुत्र रतन हिस्सा- 2/189 जाति- धानका सा. देह खातेदार
				11. रामनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 1/7 जाति- मीणा निवासी ग्राम.राहोरी.तहसील.जमवारामगढ़.जिला.जयपुर. खातेदार
				12. रामप्रसाद पुत्र मांग्या हिस्सा- 1/7 जाति- धानका सा. देह खातेदार
				13. नाबालिग सोनू पुत्री रतन सरक्षक सरपरस्त माता भारती हिस्सा- 2/189 जाति- धानका सा. देह खातेदार
				14. सोन्या पुत्र मांग्या हिस्सा- 1/7 जाति- धानका सा. देह खातेदार
				15. हरिनारायण पुत्र कजोड हिस्सा- 1/21 जाति- धानका सा. देह खातेदार,

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/ 2021/म.म.।। जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपटित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्तित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 23/07/23 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर